# उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

**आर0एम0ए0 नं0-55/2004-05**

**कन्हाय साह**

**बनाम्**

**तालामय मुर्मू**

## -: आदेश :-

| दिनांक | |
|---|---|
| 24.11.21 | उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों को अवलोकन किया।<br><br>वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता कन्हाय साह, पिता-स्व0 बोंगा साह, सा0-मखनी, थाना-गोड्डा(मु0), जिला-गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0-39/02-03 आदेश दिनांक-26.08.2004 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केश नं0-39/02-03 के आदेश दिनांक-26.08.2004 के द्वारा अपीलकर्त्ता को मौजा-मखनी जमाबंदी नं0-151 दाग नं0-2328 एवं 2327 रकवा क्रमशः 00-01-00 धुर एवं 00-00-11 धुर जमीन से संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 42 के तहत उच्छेद किया है।<br><br>अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा-मखनी जमाबंदी नं0-151 छोटा रूपेय मुर्मू के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। छोटा रूपेय मुर्मू को चार पुत्र क्रमशः चुनू मुर्मू, भगन मुर्मू, रामदास मुर्मू एवं गोसाय मुर्मू हुए। इनमें से चुनू मुर्मू एवं रामदास मुर्मू की मृत्यु नावल्द हो गयी है। गोसाय मुर्मू को एक पुत्री संझली मुर्मू हुई। संझली मुर्मू की पुत्री तालामय मुर्मू जो उत्तरवादी सं0-1 है। उनका आगे कथन है कि मौजा-मखनी जमाबंदी नं0-165 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में बोलू मंडल वगै0 के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत बुलू मंडल को दो पुत्र हराधन साह एवं बोंगा साह हुए। बोंगा साह एवं जमाबंदी सं0-151 के वंशज भगन मुर्मू के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर जमाबंदी सं0-151 के दाग नं0-2328 एवं 2327 के कुल रकवा 00-03-09 धुर जमीन के साथ मौजा-मखनी के जमाबंदी सं0-165 दाग नं0-3265 के अंदर रकवा 00-03-00 धुर जमीन बदलेन किया गया है और बदलेन के बाद आपसी सहमति के आधार पर बदलेन से प्राप्त एक दुसरे की जमीन पर दखलकार हैं और यह बदलेन |

1937 ई0 में किया गया है एवं 1937 ई0 से ही अपीलकर्त्ता के पिता उक्त जमीन पर मकान बना कर निवास करते आ रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद अपीलकर्त्ता परिवार के साथ उक्त जमीन पर निवास कर रहे हैं। उक्त जमीन का स्वरूप भी बदल गया है तथा उत्तरवादी को किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित को खारिज करते हुए अपील आवेदन को खारिज किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा मखनी जमाबंदी नं0 151 दाग नं0 2327 रकव 00–00–11 धुर एवं दाग नं0 2328 रकवा 00–02–18 धुर कुल रकवा 00–03–09 धुर जमीन दिनांक 23.04. 1937 को बोंगा साह ने अपना जमीन मौजा मखनी जमाबंदी नं0 165 दाग नं0 3265 के अंदर 00–03–11 धुर जमीन बदलनामा किया है। गाँव के कुछ लोगों ने उत्तरवादी को गलत केश करवा दिया है। चूँकि बदलनामा 1949 के पूर्व आपसी सहमती पर किया गया था और उस समय बदलनामा पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं था और न ही अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा से अनुमति लेने का प्रावधान था। उक्त बदलनामा के आधार पर ही अपीलकर्त्ता कन्हाय साह का उक्त जमीन पर आवासीय मकान बना हुआ है एवं कन्हाय साह उस पर सपरिवार निवास कर रहे हैं। इस प्रकान उक्त जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद करना नियम संगत नहीं होगा। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–846 दिनांक–26.09.2020 के द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवेदित किया है कि मौजा –मखनी थाना नं0–533 के अन्तर्गत जमाबंदी नं0–165 कुल रकवा 66–09–17 धुर जमीन गत सर्वे पर्चा में बोलू मंडल वगै0 वल्द बैजनाथ मंडल कौम तेली साकिन देह के नाम से गत सर्वे पर्चा में अंकित है एवं मौजा–मखनी थाना नं0–533 जमाबंदी नं0–151 कुल रकवा 00–11–12 धुर का खतियानी रैयत रूपाई मुर्मू वल्द रघु मुर्मू कौम संताल साकिन देह के नाम से दर्ज है। आगे प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–मखनी के जमाबंदी सं0–151 दाग नं0–2327 एवं 2328 के रकवा 00–03–09 धुर पर अपीलकर्त्ता का मकान बना हुआ है एवं सपरिवार उस पर निवास कर रहे हैं।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुनने, जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है

कि मौजा–गखनी नं0–533 जमाबंदी नं0–151 कुल रकबा 00–11–12 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में रूपेय मुर्मू वल्द रघु मुर्मू के नाम से दर्ज है। उक्त जमाबंदी नं0–151 के अन्तर्गत दाग नं0–2327 रकबा 00–00–11 धुर एवं दाग नं0 2328 में रकबा 00–02–18 धुर जमीन अपीलकर्त्ता ने बदलेन से प्राप्त करने का दावा किया है। उत्तरवादी के द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि उक्त जमीन अपीलकर्त्ता को बदलेन में दिया गया है। लेकिन बदलेन की स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी के द्वारा नहीं दिया गया है। यह संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 का उल्लंघन का मामला प्रतीत होता है। क्योंकि अंचल अधिकारी, गोड्डा के प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता के द्वारा उत्तरवादी तालामय मुर्मू को बदलेन में जमीन नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के आर0ई0आर0 केश नं0–39/02–03 आदेश दिनांक–26.08.2004 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

डि0 पी0 209
26/11/21

लिखाया एवं शुद्ध किया।

Seen
24/11/2021

(हस्ताक्षर) 24/11/21
उपायुक्त,
गोड्डा।

(हस्ताक्षर) 24/11/21
उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.18 17:18:53 +05:30
Location: 192.168.29.8